संख्या- /1002/11-सं0वि0क0नि0-7-14-700(111)/13

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(7) आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉधी मार्ग लखनऊ।
(8) निदेशक, सूडा नवचेतना भवन अशोक मार्ग लखनऊ ।
(9) प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य औधोगिक विकास निगम लखनपुर, कानपुर नगर।
(10) निदेशक उद्योग निदेशालय कानपुर नगर।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर , 2014

विषय:- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित परिसम्पत्तियों का आवंटियों के पक्ष में निष्पादित हस्तान्तरण/लीज विलेखों पर स्टाम्प शुल्क छूट के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या- क0नि0/7-641-11-700(111)/2013, दिनांक 01 अगस्त, 2013 (प्रति संलग्न) में निम्न व्यवस्था की गई है-

" स्थानीय निकाय से सम्बन्धित एवं औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन व उद्योग निदेशालय द्वारा प्रशासित औद्योगिक संस्थानों की स्थावर सम्पत्ति को किसी आवंटिती के पक्ष में आवंटन पत्र के जारी होने के दिनांक से 6 माह की अवधि के भीतर अन्तरण करने के लिए उनके द्वारा निष्पादित हस्तान्तरण पत्र/पटटा की लिखत पर स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 23 हस्तान्तरण के खण्ड- (क) और अनुच्छेद 35 (पट्टा) के खण्ड (क) के उप खण्ड (vi), खण्ड (ख) के उप खण्ड (ii) और खण्ड (ग) के उप खण्ड (ii) के अधीन प्रभार्य शुल्क हस्तान्तरण/पटटा विलेख में दिये गये रकम के बराबर

http://sansadesh.up.nic.in/

के प्रतिफल की धनराशि से अधिक की धनराशि पर प्रभार्य शुल्क की सीमा तक छूट प्रदान करतें है। पट्टा के मामलों में प्रतिफल का तात्पर्य प्रथम ग्यारह वर्ष के लिए आरक्षित भाटक और जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य से है।

परन्तु यह कि स्टाम्प शुल्क में छूट ऐसे आवंटी को भी प्राप्त होगी जिसमें आवंटन पत्र के जारी होने के दिनांक से छः माह के भीतर विक्रय/पट्टा के अनुबन्ध का निष्पादन करा लिया हो और उक्त अनुबन्ध के अनुसरण में कब्जा पत्र जारी होने के दिनांक से 03 माह के भीतर अथवा वास्तविक कब्जा पाने के दिनांक तक जो भी पहले हो विक्रय/पट्टा के विलेख निष्पादित करा लिया हो।"

2- शासन के सज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि आवंटिती के पक्ष में जारी आवंटन पत्र के छः माह के अन्दर अनुबन्ध पत्र पंजीकृत न कराने की स्थित में उक्त अधिसूचना दिनांक 01-08-2013 का लाभ संबंधित आवंटिती को नही मिल पाता है, जबकि आवंटिती का इसमें कोई दोष नही होता है।

3- अतः इस संबंध में आपसे यह अनुरोध है कि आवंटन पत्र जारी करने के समय या आवंटन पत्र जारी करने के छः माह के अन्दर आवंटन पत्र के अनुसरण में अनिवार्य रूप से अनुबन्ध पत्र पंजीकृत करा लिया जाये, जिससे अधिसूचना में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप उसका लाभ आवंटिती/आम जनता को प्राप्त हो सके।

कृपया इस संबंध में अपने स्तर से संबंधित संस्थाओं को भी निर्देश प्रसारित कर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/महानिरीक्षक, निबन्धन उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/